

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक-सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड) पटना-800023

फैक्स: 0612 2294202, ई-मेल: [secy-disastermgmt-bih@nic.in](mailto:secy-disastermgmt-bih@nic.in)

पत्रांक- 01/प्रा0आ0-13/2016/.....1769/आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-24/6/19

प्रेषक,

एम० रामचन्द्रुडु भा०प्र०से०  
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

विषय :- साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के दैनिक मजदूरी के दर की निर्धारण करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-3316, दिनांक-01.09.2016।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि बाढ़ आपदा के दौरान साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के लिए मजदूरी की दर 262.00 (दो सौ बासठ) रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गयी थी तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि भविष्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्राइवेट फेरीज एवं एल०टी०सी० के कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निर्धारित मजदूरी संबंधी अधिसूचना के अनुसार ही साहाय्य कार्य में लगे नाविकों को मजदूरी देय होगी।

वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिनांक-01.04.2019 के प्रभाव से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता लागू किये जाने के फलस्वरूप श्रम संसाधन विभागीय अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-39 दिनांक-27.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार प्राइवेट फेरीज एवं एल०टी०सी० के कुशल श्रेणी के कामगारों हेतु 340.00 (तीन सौ चालीस) रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है। अतएव सूचित करना है कि दिनांक-01.04.2019 के प्रभाव से साहाय्य कार्य में लगे नाविकों की मजदूरी 340.00 रुपये प्रतिदिन होगी।

साथ ही, भविष्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्राइवेट फेरीज एवं एल०टी०सी० के कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निर्धारित मजदूरी संबंधित अधिसूचना के अनुसार ही साहाय्य कार्य में लगे नाविकों को मजदूरी स्वतः देय होगी।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर सचिव

ज्ञापांक- 01/प्रा0आ0-13/2016/.....1769/आ0प्र0, पटना-23, दि०-24/6/19

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 फाल्गुन 1940 (श10)  
(सं0 पटना 290) पटना, बुधवार, 27 फरवरी 2019

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं  
26 फरवरी 2019

एस0 ओ0 39 दिनांक 27 फरवरी 2019—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जुलाई, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
अगस्त, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
सितम्बर, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
अक्टूबर, 2018	302	4.63 X 4.93	6893.42
नवम्बर, 2018	302	4.63 X 4.93	6893.42
दिसम्बर, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
योग :-			41269.20

औसत -  $41269.20 \div 6 = 6878.20$

## अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -6769, 6770 दिनांक 26.09.2018 गजट सं0-888 दि028.09.2018	कुल 69- अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य		

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रैटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेन्ट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्ठे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलींग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

## अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक 01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017+01.04.2018+01.10.2018 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी होगी	01.04.2019 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00=257.00	11.00	268.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00=268.00	11.00	279.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00=325.00	15.00	340.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00=396.00	19.00	415.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपि कीय	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00 =7359.00	324.00	7683.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2018 के औसत के आधार पर 01 अप्रैल, 2019 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।



**स्पष्टीकरण – अधिसूचना के प्रयोजनार्थ**

- (क) राज्य सरकार कामगारों के उन्नयन का आधार निम्न रूपेण निर्धारित करती है, जैसे –
- (i) किसी कोटि (अकुशल एवं अर्द्धकुशल) में पाँच या पाँच वर्षों से अधिक तक का कार्य अनुभव होने पर, कामगार को उस कोटि से तत्काल ऊपर की कोटि में उन्नत माना जायेगा तथा कामगार को उन्नत कोटि के न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप अगर कोई कामगार पाँच या पाँच वर्षों से अधिक अकुशल कामगार के रूप में कार्य किया हो तो वह अर्द्धकुशल कामगार के न्यूनतम मजदूरी का हकदार होगा। इसी प्रकार अर्द्धकुशल कोटि के कामगार भी पाँच या पाँच वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव होने पर अपनी कोटि से तत्काल ऊपर की कोटि में उन्नत माने जायेंगे।  
परंतु कुशल से ऊपर कोटि में उन्नयन हेतु प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।
- (ii) अगर किसी कामगार ने National Skill Qualification Framework (NSQF) संबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा कामगार के प्रमाण-पत्र में उनके द्वारा प्राप्त स्तर (Level) का उल्लेख हो तो उस कामगार को उनके द्वारा प्राप्त स्तर (Level) के अनुसार निम्न रूपेण विभिन्न कोटियों में कोटिबद्ध किया जाता है—  
स्तर (Level)-1 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को अकुशल माना जायेगा।  
स्तर (Level)-2 एवं 3 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को अर्द्धकुशल माना जायेगा।  
स्तर (Level)-4 एवं 5 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को कुशल माना जायेगा।  
स्तर (Level)-6 एवं 7 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को अतिकुशल कामगार माना जायेगा।  
स्तर (Level)-8, 9 एवं 10 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को पर्यवेक्षीय या लिपिकीय माना जायेगा।  
ऐसे कामगार जिन्होंने National Skill Qualification Framework (NSQF) के अन्तर्गत किसी कोटि का स्तर (Level) प्राप्त किया हो एवं उस स्तर पर उनके द्वारा पाँच या पाँच वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव हो तो उन्हें अगली कोटि में उन्नत माना जायेगा। उदाहरण स्वरूप—अगर कोई कामगार स्तर (Level)-2 अथवा स्तर (Level)-3 के अन्तर्गत अर्द्धकुशल कामगार है एवं उनके द्वारा अर्द्धकुशल कामगार के रूप में पाँच या पाँच वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त कर लिया गया है तो उसे कुशल कामगार की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
- (iii) अगर किसी कामगार ने किसी केन्द्र/राज्य अधिनियम अथवा नियमावली के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो वह कामगार प्राप्त प्रशिक्षण के पश्चात् धारित योग्यता के अनुसार अर्द्धकुशल अथवा कुशल कोटि के न्यूनतम मजदूरी का हकदार होगा।
- (ख) राज्य सरकार निम्न रूपेण विभिन्न कोटियों में कामगारों का वर्गीकरण करती है। यह वर्गीकरण नितांत उदाहरणस्वरूप है तथा यह कार्य की प्रकृति के अनुसार घट अथवा बढ़ सकता है—

**अकुशल**

बजरी (गिट्टी/छरी) फैलाने वाला, बेलदार, बाल्टी वाला, वाहक (पत्थर), वाहक (पानी), गाड़ीवाहक, केयरटेकर (पुल), सफाई कर्मचारी, चौकीदार, कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला), दफादार, गाड़ीवान (बैल, ऊँट, गधा, खच्चर), श्रमिक (गार्डन), मजदूर, होल कटर, पेट्रोलमैन, तलाशीकर्ता, स्वीपर, वाचमैन, घास काटनेवाला या अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हों जिसमें बहुत ही कम या कुछ भी कुशलता या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं।

**अर्द्धकुशल**

भिश्ति (मूशक सहित), नाववाला (प्रधान), भंजक (चट्टान, पत्थर प्रस्तर धातु, पत्थर), बेंत बुनने वाला, चारपाई कसने वाला, सुरक्षा गार्ड (शस्त्र रहित), दफ्तरी, फायरमैन, फायरमैन (ईंटो का भट्टा, स्टीम रोड रोलर), गेटकीरपर, सहायक (कारीगर), सहायक (आराकश), श्रमिक (चट्टानकर्तन), फिटर गैंग, खलासी, टर्नर, मजदूर (भारी वजन), रात्रिगार्ड, सहायक चाय बनाने वाला, परोसने वाला, (सर्विस मैन), बैरा, वेटर, भंडारवाला, फिटर (सहायक

अर्द्धकुशल), जमादार (अर्द्धकुशल), पम्प अटेंडेंट, डांडी फराश, सहायक (लोको, क्रेन/ट्रक), खलासी, नाव वाला, मसालची, तोपकार (बड़े पत्थर तोड़नेवाला) या अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों जिनमें कार्य अनुभव/प्रशिक्षण के आधार पर कुछ कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में किया जा सकता है, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाय।

#### कुशल

मिस्त्री, लोहार, बायलर मैन, ईट बिछानेवाला, ब्लास्टर, बढई, सुरक्षा गार्ड (शस्त्र सहित), काष्टकार (साधारण), कंक्रीट मिश्रण मिश्रक, मोची, चालक, चालक मोटर वाहन, मोटर लारी चालक, चालक (इंजन स्थिर, स्टोन, क्रशर, बुलडोजर, रोड रोलर, और क्रेन), चालक (लोको/ट्रक), राजमिस्त्री, स्टोन टाइल फ्लोरिंग मिस्त्री, मोल्डर (ईट, टाइल), पेंटर, नलसाज मिस्त्री, नलसाज-सह-फिटर, पोलिशगर, पॉलिशगर (फर्श), पम्प चालक, सहायक (वातानुकूल परिचालक), स्टोनकटर, दर्जी, दर्जी (अपहोजरी), ठठेरा, सोफाकाज, रंगसाज, रसोइया (प्रधान), बिजली मिस्त्री, यांत्रिक (नलकूप), मिस्त्री (ट्यूब-वेल, टेलीफोन), मीटर रीडर, मौसम प्रेक्षक, बावर्ची, कारीगर, हलवाई, महाराज, सहायक महाराज, सहायक रसोइया, रोटी कारीगर, आईस्क्रीम मिस्त्री, डोसा मास्टर, प्रधान वेटर, प्रधान बेरा या कुशल प्रकृति का कोई अन्य प्रवर्ग, जिनमें कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनीकी या किसी व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके निष्पादन के लिए पहल और विवेक की आवश्यकता होती है, उनके नाम कुछ भी हों।

#### अतिकुशल

बायलरमैन, केबल संयोजक, मैकेनिक (वातानुकूलन), ओवरसियर, सड़क निरीक्षक, उप ओवरसियर (योग्यता प्राप्त), वेल्डर एवं फिटर, वायर मैन, वातानुकूल परिचालक, चित्रकार, प्रधान बावर्ची, प्रधान खानसामा, प्रधान महाराज, प्रधान कारीगर या कोई अन्य प्रवर्ग जो अति कुशल प्रवृत्ति का हों, जिनमें सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या वर्षों के व्यावहारिक कार्य अनुभव के आधार पर अर्जित खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री तथा पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इनके निष्पादन हेतु कामगारों में विवेक या विनिश्चय के लिए पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है, वे किसी भी नाम से पुकारे जायें।

#### लिपिकीय/पर्यवेक्षकीय

लिपिक, मुंशी (न्यूनतम मैट्रिकुलेट), भंडार लिपिक (मैट्रिकुलेट), भंडार रक्षक (मैट्रिकुलेट), मिलान लिपिक, बुक कीपर, कार्य मुंशी, (अधीनस्थ) लेखालिपिक, संगणक, टेलीफोन प्रचालक, बुकिंग क्लर्क, टंकक या अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, जो कि लिपिकीय अथवा पर्यवेक्षकीय प्रकृति के हों।

उपरोक्त दरें 01 अप्रैल, 2019 से अगले आदेश तक प्रभावी होंगी

(सं० 5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0सं0-996)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मोहन रजक,

अवर सचिव ।

26 फरवरी 2019

एस0 ओ0 40, एस0 ओ0 39 दिनांक 27 फरवरी 2019 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(सं० 5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0सं0-997)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मोहन रजक,

अवर सचिव ।

The 26th February 2019

S.O. 39 Dated 27<sup>th</sup> February 2019— In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.